संख्या-14/398/17-27-सिं-3-03 टी0/17

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 20 अप्रैल, 2017

विषयः सिंचाई विभाग में राजकीय कार्यो/ठेकों के कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सिंचाई विभाग में राजकीय कार्यो/ठेकों के कार्य सम्पादन हेतु यह व्यवस्था पूर्व से विद्यमान है कि किसी भी कार्य को कराए जाने से पूर्व निविदा का आमंत्रण करके न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुबंध गठित करके अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्यादेश के माध्यम से कराए जाएं।

2- शासन के संज्ञान में यह आया है कि सिंचाई विभाग में कतिपय कार्यस्थलों पर विभाग एवं ठेकेदार के मध्य नियमों के विपरीत बिना अनुबन्ध पत्र गठित किए अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन/आदेश प्राप्त किए बिना ही ठेकेदारों/फर्मों से कार्य कराये गये। अब उक्त ठेकेदारों/फर्मों द्वारा उनके तथाकथित तौर पर कराए गए कार्यों के भुगतान की मांग की जा रही है। इस तरह की प्रवृत्ति से अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है, अनावश्यक रूप से देनदारी सृजित होती है, शासन की छवि धूमिल होती है तथा भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिचाई विभाग में जिस भी कार्यस्थल पर ठेकेदारों/फर्मों के माध्यम से कार्य का सम्पादन कराया जाए उसके पूर्व शासन/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत समस्त आदेशों/प्रक्रियाओं/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियम-संगत अनुबंध गठित करके अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/आदेश के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जाए। यदि उक्त प्रक्रिया का पालन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व नहीं किया जाता है तो संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा उनके विरूद्ध शासन द्वारा कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

4- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने स्तर से पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा सिंचाई विभाग में किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों द्वारा समस्त प्रक्रियाओं/नियमों/आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।